**Office of Chief Electoral Officer**
**Rajasthan Secretariat, Jaipur**

E-Mail: ceojpr-rj@nic.in &
raj.election.media24@gmail.com

Media

## Press Release 07-11-2025

### विशेष गहन पुनरीक्षण 2026
### राजस्थान में 20 प्रतिशत मतदाताओं को हुए वितरित - 1 करोड़ से अधिक को मिले गणना प्रपत्र

7 नवबंर 2025, जयपुर। राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 कार्य तीव्र गति से चल रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र (Enumeration Form) का वितरण किया जा रहा है। अब तक राज्य के विभिन्न जिलों में एक करोड़ से अधिक मतदाताओं को गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। गणना प्रपत्र वितरण में बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ एवं बांसवाड़ा जिले प्रथम तीन स्थानों पर हैं।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत बीएलओ को प्रशिक्षण देकर उन्हें घर-घर जाकर सत्यापन और गणना फॉर्म के वितरण-संकलन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मतदाताओं तक गणना प्रपत्र को सुलभता से उपलब्ध कराने हेतु तथा निर्वाचन मशीनरी को पूर्ण मनोयोग और मनोबल के साथ इस कार्य में समर्पित बनाए रखने के लिए राज्य के सभी जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी, ईआरओ, एईआरओ स्वयं फील्ड भ्रमण कर रहे हैं। वे बीएलओ के साथ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण कर रहे हैं एवं उनके कार्यों का निरीक्षण कर अभियान की प्रगति की निगरानी कर रहे हैं।

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में प्रदेश के सभी राजनीतिक दल सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। अब तक 1 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs) की नियुक्ति की जा चुकी है, जो प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता सूची के सत्यापन में लगे हुए हैं। सभी राजनीतिक दल लगातार और अधिक बीएलए नियुक्त कर रहे हैं ताकि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित हो सके।

भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सलाह दी है कि वे समय रहते प्रत्येक मतदान केंद्र पर अपने बीएलए नियुक्त करें ताकि बाद में मतदाता सूची में त्रुटियों की शिकायत करने की आवश्यकता ही न पड़े। आयोग का स्पष्ट मत है कि सही समय पर सहभागिता से ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रह सकती है।
विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की नियमित गतिविधियों को देखने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो किया जा सकता है।

कार्य को गति देने हेतु सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, राजीविका कार्यकर्ताओं, एनसीसी, एनएसएस आदि की सहायता लें।
इस विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रमुख तिथियाँ इस प्रकार हैं:
घर-घर सर्वेक्षण: 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025
प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन: 9 दिसंबर 2025
दावा और आपत्ति की अवधि: 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 7 फरवरी 2026
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने प्रत्येक मतदाता से अपील की है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाने में सक्रिय सहभागिता निभाएँ। उन्होंने सभी पात्र नागरिकों से आग्रह किया है कि वे समय रहते अपना गणना प्रपत्र भरें, सत्यापन सुनिश्चित करें एवं इस ऐतिहासिक पुनरीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा बनें। किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है एवं अपने BLO से संपर्क करने के लिए https://voters.eci.gov.in वेबसाइट से Book a call with BLO सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

**Office of Chief Electoral Officer**
**Rajasthan Secretariat, Jaipur**

E-Mail: ceojpr-rj@nic.in &
raj.election.media24@gmail.com

## Press Release 07-11-2025

**स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी – अंता उपचुनाव 2025 में सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम**

जयपुर, 7 नवम्बर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि अंता विधानसभा उपचुनाव-2025 के तहत निर्वाचन विभाग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं ताकि 11 नवम्बर को मतदान और 14 नवम्बर को मतगणना सुचारू रूप से हो सके।

अंता विधानसभा क्षेत्र में कुल 268 मतदान केन्द्रों पर मतदान होगा। क्षेत्र में 2,28,264 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 1,16,783 पुरुष, 1,11,477 महिलाएं और 4 अन्य मतदाता शामिल हैं।

सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़

निर्वाचन विभाग द्वारा प्रत्येक मतदान दल के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान केन्द्रों पर सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) के जवान तैनात रहेंगे। इसके साथ ही क्षेत्र में 12 क्विक रेस्पॉन्स टीम, 43 मोबाइल पार्टियां, 43 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 12 पुलिस सुपरवाइजरी अधिकारी, 12 एरिया मजिस्ट्रेट, 4 वरिष्ठ पुलिस पर्यवेक्षक तथा 4 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

चुनाव अवधि के दौरान 13 अन्तर्राज्यीय नाके और 5 अन्तर जिला नाके सक्रिय रहेंगे, जहां सशस्त्र बलों की निगरानी में लगातार चेकिंग की जा रही है।

शस्त्र जमा व निरोधात्मक कार्यवाही

भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए अंता क्षेत्र में 4,262 शस्त्र जमा कराए गए हैं। नाकाबंदी के दौरान 8 अवैध हथियार और 5 कारतूस जब्त किए गए हैं।

असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण हेतु 1,134 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की गई है, वहीं 2,716 व्यक्तियों को मुचलकों पर पाबंद किया गया है।

21 करोड़ से अधिक की जब्ती

चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक कुल ₹21 करोड़ 21 लाख 12 हजार 312 रुपये की जब्ती की गई है, जिसमें

अवैध शराब: ₹19.27 लाख

नशीले पदार्थ: ₹35.46 लाख

फ्रीबीज व अन्य सामग्री: ₹20.55 करोड़

नगद राशि: ₹11.34 लाख शामिल है।

मतदान केन्द्रों पर विशेष व्यवस्थाएं

प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मोबाइल फोन जमा करने के लिए जूट बैग उपलब्ध कराए गए हैं और प्रत्येक केंद्र पर दो वॉलंटियर तैनात किए गए हैं।

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी केन्द्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। इसके लिए जिला मुख्यालय व रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिनमें आईटी विभाग, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की टीम 24 घंटे निगरानी रखेगी।

मतदाता सुविधा व पारदर्शिता

ईवीएम बैलेट पेपर पर अभ्यर्थियों की रंगीन फोटो अंकित की गई है ताकि मतदाताओं को पहचान में आसानी हो।मतदान केन्द्र से 100 मीटर की दूरी तक राजनीतिक प्रचार पर रोक रहेगी। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सभी दलों, प्रत्याशियों व एजेंटों को इसकी सूचना दे दी गई है।

मतदाता पर्चियों का वितरण

मतदाता सूचना पर्चियां (VIS) रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करा दी गई हैं। अधिकारियों की टीमें घर-घर जाकर वितरण और क्रॉस चेकिंग कर रही हैं। हर टीम प्रतिदिन कम से कम 15 घरों में जाकर सत्यापन कर रही है।

पर्यावरण अनुकूल मतदान

इस उपचुनाव में 5 ग्रीन मतदान केन्द्र बनाए जा रहे हैं। सभी मतदान केन्द्रों को प्लास्टिक मुक्त रखा जाएगा। प्रत्येक बूथ पर रैंप, पीने का पानी, छाया की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर और वॉलंटियर की व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें मतदान केन्द्र तक लाने-ले जाने में सुविधा हो।

ईवीएम एवं रवानगी

ईवीएम मशीनों को 2 नवम्बर को जिला वेयरहाउस से सुरक्षा के साथ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बारां में शिफ्ट किया गया था, जिसकी कमीशनिंग 3 से 4 नवम्बर के बीच पूरी हो चुकी है।

10 नवम्बर को अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों की रवानगी होगी। मतदान समाप्ति के बाद काम में ली गई ईवीएम व सामग्री जमा कराने हेतु 6 काउंटर बनाए गए हैं, जिनमें एक काउंटर महिला एवं दिव्यांग कर्मियों के लिए आरक्षित रहेगा। ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए 3 स्ट्रॉन्ग रूम तैयार किए गए हैं, जिन पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

मतगणना 14 नवम्बर को

मतगणना 14 नवम्बर 2025 को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बारां के सेमिनार हॉल में होगी। मतगणना प्लान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित है। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम रहेंगे और पूरे परिसर में सीसीटीवी निगरानी रहेगी।

महिला एवं पुरुषों के लिए अलग कतारें

सभी मतदान केन्द्रों पर महिला और पुरुष मतदाताओं के लिए अलग-अलग कतारों की व्यवस्था की गई है। महिलाओं की सहायता हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगिनियों की ड्यूटी लगाई गई है।

संयुक्त नियंत्रण कक्ष

उपचुनाव के लिए जिला मुख्यालय पर संयुक्त नियंत्रण कक्ष (Control Room) बनाया गया है, जिसमें मीडिया, सी-विजिल, MCC एवं एनजीआरएस से संबंधित निगरानी की जा रही है। यह केंद्र 24x7 संचालित रहेगा और इसका प्रभारी उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बारां को बनाया गया है।

अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 के लिए सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं और जिला प्रशासन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।